सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक: गुण0वि0–सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण–निर्देश/2692/2013–14 दिनॉक 13/09/2013

विषयः– **सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विषयक बजट एवं निर्देश के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक है कि शिक्षकों के ज्ञान और शिक्षण कौशल को सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की प्रभावशाली व्यवस्था के माध्यम से निरन्तर स्तरोन्नत किया जाये। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 के अन्तर्गत ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर निम्न सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगाः–

1. प्रोजेक्ट एप्रूअल बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2013–14 में जनपद–बलरामपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, ललितपुर व रायबरेली के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कार्ययोजना का फील्ड ट्रायल राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 के निर्देशन में जारी रखा जाये। इसके लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की हस्तपुस्तिका का संवर्द्धन, शिक्षक प्रशिक्षण हेतु सत्र योजना का विकास, मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्ययोजना के कियान्वयन, अनुसमर्थन और अनुश्रवण आदि कार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 द्वारा संपादित कराये जाएंगे।

   उक्त के कम में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण मद के अन्तर्गत स्वीकृत भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष जनपद–बलरामपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, ललितपुर व रायबरेली के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों (शिक्षामित्र सम्मिलित नहीं) को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

2. जनपद–बलरामपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, ललितपुर व रायबरेली (जहाँ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का फील्ड ट्रायल क्रियान्वित है) को छोड़कर शेष 70 जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों (शिक्षामित्र सम्मिलित नहीं) को भाषा एवं गणित विषय और समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विज्ञान एवं गणित विषय पर 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

   इस प्रशिक्षण हेतु सत्र योजना का विकास, मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण के संचालन, अनुसमर्थन और अनुश्रवण आदि कार्य एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0, लखनऊ/राज्य शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद/ई.एल.टी.आई., उ0प्र0, इलाहाबाद/राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद के सहयोग से राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किया जायेगा।

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780999, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upefaspo@gmail.com

3. समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कक्षावार एवं विषयवार सुझावात्मक लर्निंग इण्डिकेटर्स की हस्तपुस्तिका उपलब्ध करायी जा रही है। उपर्युक्त प्रशिक्षण में इन सुझावात्मक लर्निंग इण्डिकेटर्स की संकल्पना एवं शिक्षण अधिगम प्रकिया को प्रभावी बनाने के लिए इनके उपयोग के विषय में शिक्षकों को अभिमुख (Orient) किया जायेगा।

4. शैक्षिक सत्र 2013–14 में शिक्षकों को ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्रों पर प्रशिक्षित किया जायेगा। न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्रों पर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण मद के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण अनुमन्य नहीं है तथा इसके लिए कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

5. उपर्युक्त 05 दिवसीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्राविधान निम्नवत हैं :–
   - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर संदर्भदाताओं के प्रशिक्षण पर व्यय का वहन राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 द्वारा शिक्षक शिक्षा योजना (Teacher Education Scheme) से उपलब्ध करायी गयी धनराशि से किया जायेगा।
   - ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र पर शिक्षक प्रशिक्षण पर व्यय का वहन सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण मद के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि से किया जायेगा।

उक्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरीय सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के संचालन से पूर्व सर्वप्रथम राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण संचालित किया जायेगा। इन मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अपने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र के संदर्भदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र अपनी विकासखण्ड/नगर क्षेत्र के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे।

<u>सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण संचालित करने हेतु सामान्य निर्देश–</u>

1. सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 पर प्रशिक्षण का सुचारू कियान्वयन करने के लिये प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) द्वारा प्रत्येक दशा में ***25 सितम्बर, 2013 तक*** जनपद की प्रशिक्षण की कार्ययोजना बनायी जायेगी। कार्ययोजना में केवल प्रशिक्षण कराने की समयसारिणी ही नहीं बनायी जायेगी वरन् इसमें निम्न पक्षों को भी समाहित किया जाय :–
   - (i) जनपदों के वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों/राजकीय विद्यालयों/वित्तीय सहायता प्राप्त मदरसों आदि के शिक्षकों को सम्मिलित करते हुये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का निर्धारण।
   - (ii) प्रति बैच 50 शिक्षकों को ध्यान में रखकर सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण सम्पन्न कराने के लिए कार्य दिवसों की गणना।
   - (iii) आवश्यकतानुसार स्थानीय इण्टर, डिग्री एवं बी0एड0 कालेज के विषय विशेषज्ञों / शिक्षाविदों अथवा स्वयंसेवी संस्थानों के विशेषज्ञों को अतिथि वक्ता /आमंत्री अतिथि के रूप में चिह्नांकन।
   - (iv) प्रशिक्षणों के संचालन, प्रशिक्षण कार्यकमों तथा विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण में बतायी गयी विधा के अनुरूप कक्षा शिक्षण का अनुश्रवण कराने के लिए योग्यता, रूचि, अनुभव के आधार पर संदर्भदाताओं का चिह्नांकन और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप (डी0आर0जी0), ब्लॉक रिसोर्स ग्रुप (बी0आर0जी0) एवं क्लस्टर रिसोर्स ग्रुप (सी0आर0जी0) का गठन।
2. प्रशिक्षण के संचालन, अनुश्रवण एवं परिवर्द्धन विषयक समस्त निर्देश प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 समन्वयकों को लिखित रूप में प्रेषित किये जायें। प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण एवं शैक्षिक गतिविधि के अभिलेख जैसे प्रतिभागियों की सूची, समय–सारिणी एवं प्रशिक्षण दिवस की आख्या तथा प्रशिक्षण की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से रखी जाये। इन निर्देशों के विचलन की दशा में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) उत्तरदायी होंगे।
3. सभी प्रशिक्षणों के समय प्रतिभागियों का प्रशिक्षण पूर्व (Pre-Training test) एवं प्रशिक्षण पश्चात् (Post-Training Test) मूल्यांकन अवश्य करायें, जिससे प्रशिक्षण के प्रभावों का अध्ययन किया जा सके।
4. कक्षा–कक्ष में प्रशिक्षण के प्रभाव के आकलन की आख्या पर बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0/डायट की बैठकों में चर्चा की जायेगी तथा तदनुसार शिक्षकों को ऑनसाइट सपोर्ट प्रदान किया जाये।
5. जनपद के वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों तथा वित्तीय सहायता प्राप्त मदरसों के कक्षा 1–5 तक पढ़ाने वाले अधिकतम 5 तथा कक्षा 6–8 को पढ़ाने वाले अधिकतम तीन शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जाये।

6. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन करने में यह ध्यान रखा जाये कि प्रशिक्षण के कारण विद्यालय बन्द न हो जाये। प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने के लिए निर्धारित तिथि से एक दिन पहले जाने के लिए तथा एक दिन बाद आने के लिए अवकाश कदापि देय नही होगा।
7. जनपद स्तर/ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले प्रत्येक सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य परियोजना कार्यालय से पृथक-पृथक विस्तृत निर्देश प्रेषित किये जायेंगे, जिनमें मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण मॉड्यूल की उपलब्धता के विषय में अवगत कराया जायेगा। अतः मास्टर ट्रेनर्स एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल के बिना जनपद/ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कदापि आयोजित न करें। **यदि किसी जनपद में इस प्रकार के अनियमित प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं तो प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय निर्देश–

1. सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 के अन्तर्गत ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्रों पर सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत बजट संलग्न तालिका के कॉलम–1 में अंकित जनपदों के नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित कुल धनराशि **₹3314.02** लाख (रूपये तैंतीस करोड़ चौदह लाख एवं दो हजार मात्र) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को अवमुक्त की जा रही है। प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में प्रतिभागी संख्या एवं प्रशिक्षण दिवस का आगणन करते हुये ब्लाक संसाधन केन्द्रों को प्रशिक्षण हेतु निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व धनराशि उपलब्ध करायेंगे। नियमानुसार धनराशि आहरण एवं समय से हस्तान्तरण के लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय उत्तरदायी होंगे।
2. अग्रेतर स्पष्ट किया जाता है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर संदर्भदाता प्रशिक्षण हेतु धनराशि एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 द्वारा शिक्षक शिक्षा योजना के बजट से जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विषयक धनराशि का आहरण एवं उपभोग करने के लिए संबंधित संसाधन केन्द्र के वरिष्ठतम सह–समन्वयक, लेखाकार एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
4. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र पर प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रख–रखाव एवं व्यय प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेंट के प्रावधानों के अनुसार प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय, खण्ड शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठतम सह–समन्वयक एवं लेखाकार द्वारा किया जायेगा।
5. वर्ष 2013–14 हेतु अवमुक्त धनराशि के व्यय की समीक्षा के उपरान्त मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेंट में दिये गये प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाणपत्र **दिनांक 31 जनवरी, 2014** तक प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय में अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जायेगा।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), जिला परियोजना कार्यालय द्वारा जनपदों में विभिन्न स्तरों पर होने वाले सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण पर व्यय गत वर्ष निर्देशित दरों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
7. जनपद में संचालित किये जा रहे ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रशिक्षणों तथा प्रशिक्षण में बतायी गयी शिक्षण विधा के अनुसार विद्यालयों में कक्षा शिक्षण होने का नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। डी0आर0जी0/बी0आर0जी0 सदस्यों द्वारा प्रशिक्षणों की गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण के अनुरूप कक्षा शिक्षण में बदलाव के आकलन हेतु किये गये पर्यवेक्षण/अनुश्रवण सम्बन्धी व्यय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को आर0ई0एम0एस0 मद में प्रेषित धनराशि से वहन किया जायेगा।

अनुश्रवण, वीडियो रिकार्डिंग एवं अभिलेखीकरण–

प्रत्येक स्तर पर होने वाले सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की प्रतिदिन – प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के समय 05 मिनट, प्रशिक्षण की मध्यावधि में 05 मिनट और प्रशिक्षण समाप्त होते समय 05 मिनट – नियमित वीडियो रिकार्डिंग करायी जाय। रिकार्डिंग इस प्रकार करायी जाये कि समस्त प्रतिभागियों की प्रशिक्षण अवधि में उपस्थिति एवं अभिरूचि ज्ञात हो सके। प्रशिक्षण अवधि में प्रतिदिन लगभग 10 फोटोग्राफ भी इस प्रकार लिये जायें कि समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रतिभागियों की पूरे प्रशिक्षण अवधि में उपस्थिति आच्छादित हो सके।

यदि किसी भी स्तर पर वीडियो रिकार्डिंग/फोटोग्राफी नहीं करायी जाती है तो इसके लिए संबंधित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुश्रवण, वीडियो रिकार्डिंग एवं अभिलेखीकरण पर होने वाला व्यय जनपदों के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यालय एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र में उपलब्ध आर0ई0एम0एस0 मद की धनराशि से वहन किया जायेगा। उक्त व्यय की जाने वाली धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल एण्ड प्रोक्योरमेण्ट के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

प्रशिक्षण एवं कक्षा शिक्षण का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन

प्रत्येक बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने, विद्यालयों में रूचिपूर्ण और भेदभाव रहित अधिगम वातावरण बनाने और शिक्षकों के सतत दक्षता संवर्द्धन हेतु शैक्षिक पर्यवेक्षण और अनुसमर्थन आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण एवं कक्षा शिक्षण का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन करने के लिये कार्ययोजना निम्नवत् होगी :–

1. प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक माह प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामित प्रत्येक विकासखण्ड के मेण्टर कम से कम 10 प्रशिक्षण स्थलों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करेंगे।
2. प्रशिक्षणोपरान्त कक्षा–कक्ष में प्रशिक्षण के अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह में 40 विद्यालयों का, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा 20 विद्यालयों का मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा 10 विद्यालयों का, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामित प्रत्येक विकासखण्ड के मेण्टर द्वारा कम से कम 20 विद्यालयों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण किया जायेगा। इसी प्रकार न्याय पंचायत एवं नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र के समन्वयकों और ब्लाक/ नगर संसाधन केन्द्र के सह–समन्वयकों द्वारा प्रत्येक माह 10–15 विद्यालयों का भ्रमण किया जायेगा।
3. प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) द्वारा प्रत्येक स्तर के अनुश्रवणकर्ताओं से नियमित निरीक्षण आख्यायें प्राप्त कर संकलित की जायेंगी। निरीक्षणों से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग शैक्षिक कार्यक्रमों के परिणामों का विश्लेषण करने, अनुसमर्थन प्रदान करने, फीडबैक प्रदान करने तथा गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु नवीन रणनीतियों को बनाने एवं क्रियान्वित करने में किया जायेगा।
4. ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र के समन्वयक/सह–समन्वयक अपने कक्षावलोकन प्रपत्रों, केन्द्र पर सम्पन्न होने वाली मासिक बैठकों/प्रशिक्षणों तथा न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र के समन्वयकों की मासिक विश्लेषण आख्या के आधार पर निर्धारित प्रपत्र पर आख्या तैयार करके अगले माह के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
5. इसी प्रकार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला परियोजना कार्यालय अपने कक्षावलोकन प्रपत्रों, जिला स्तरीय मासिक बैठकों/प्रशिक्षणों तथा ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र के समन्वयकों की मासिक विश्लेषण आख्या के आधार पर अगले माह के द्वितीय सप्ताह तक निर्धारित प्रपत्र पर आख्या तैयार करके राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे तथा संसाधन केन्द्रों/विद्यालयों को अनुसमर्थन हेतु यथोचित निर्देश भी प्रदान करेंगे। यह संकलित विश्लेषण आख्या जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से तैयार करेंगे। इन आख्याओं पर प्रत्येक

स्तर पर विचार–विमर्श किया जायेगा तथा अपेक्षित रणनीतियाँ विकसित करने हेतु वांछित फीडबैक प्रदान किया जायेगा।

6. कक्षा अवलोकन प्रपत्र व विविध स्तर के विश्लेषण प्रपत्रों का प्रारूप गत वर्ष "संवाद" हस्तपुस्तिका में उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

7. शैक्षिक सत्र 2013–14 में जनपद के सेवारत शिक्षकों एवं संदर्भदाताओं के प्रशिक्षण की प्रगति निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत की जायेगी :–

क्र.स.	वर्ष 2013–14 में अनुमोदित प्रशिक्षणों के नाम	लक्ष्य (मैनडेज में)	प्रतिभागी शिक्षकों की संख्या	प्रशिक्षण दिवस की संख्या	उपलब्धि (मैनडेज में)	उपलब्धि (वित्तीय)
प्राथमिक स्तर पर						
उच्च प्राथमिक स्तर पर						
योग						

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण

क्र.स.	वर्ष 2013–14 में अनुमोदित प्रशिक्षणों के नाम	लक्ष्य (मैनडेज में)	प्रतिभागी संदर्भदाताओं की संख्या	प्रशिक्षण दिवस की संख्या	उपलब्धि (मैनडेज में)	उपलब्धि

उपर्युक्तानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0 – गुण0वि0–सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण–निर्देश/2692/2013–14 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

1. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), विद्याभवन, निशातगंज, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. वित्त नियंत्रक, सर्व शिक्षा अभियान, राज्य परियोजना कार्यालय।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), समस्त जनपद को इस आशय से साथ प्रेषित कि उपर्युक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करें तथा विचलन की आवश्यकता की दशा में राज्य परियोजना कार्यालय से पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त करें।
8. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय, समस्त जनपद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भुगतान से पूर्व वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(डॉ0 शुभ्र ज्योत्सना त्रिपाठी)
अपर परियोजना निदेशक

पत्रांक–गुणवत्ता–सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण निर्देश /2692/2013–14 दिनांक 13/9/2013 का

संलग्नक

District	Approval of In-service Teachers' Training at BRC level - 05 days (@ Rs.200/- per head per day) (Rs in lacs)	
	Phy.	Fin.
1	2	3
1-Agra	5625	56.25
2-Aligarh	5035	50.35
3-Allahabad	9806	98.06
4-Ambedkar Nagar	4070	40.7
5-Auraiya	3927	39.27
6-Azamgarh	9195	91.95
7-Badaun	4387	43.87
8-Baghpat	2330	23.3
9-Baharaich	4111	41.11
10-Balia	6296	62.96
11-Balrampur	4417	44.17
12-Banda	4036	40.36
13-Barabanki	5885	58.85
14-Bareilly	5792	57.92
15-Basti	4701	47.01
16-Bhadohi	3123	31.23
17- Sambhal	2604	26.04
18-Bijnor	5043	50.43
19-Buland Shahar	5705	57.05
20-Chandauli	3775	37.75
21-Chitrakoot	2520	25.2
22-Deoria	5934	59.34
23-Etah	4053	40.53
24-Etawah	4340	43.4
25-Faizabad	4566	45.66
26-Farrukhabad	4606	46.06
27-Fatehpur	5728	57.28
28-Firozabad	4067	40.67
29-G B Nagar	2012	20.12
30-Ghaziabad	2247	22.47
31-Ghazipur	5518	55.18
32-Gonda	3940	39.4
33-Gorakhpur	6943	69.43
34-Hamirpur	2857	28.57
35-Hardoi	6237	62.37
36-Hathrus	2822	28.22
37-Jalaun	6100	61.00
38-Jaunpur	7962	79.62
39-Jhansi	4172	41.72
40-Amroha	2985	29.85
41-Kannauj	2791	27.91
42-Kanpur Dehat	5018	50.18
43-Kanpur Nagar	4900	49.00
44-Kasganj	2412	24.12
45-Kaushambi	5089	50.89
46-Kushinagar	4255	42.55
47-Lakhimpur	4618	46.18
48-Lalitpur	2559	25.59
49-Lucknow	5447	54.47
50-Maharajganj	2941	29.41

51-Mahoba	1958	19.58
52-Mainpuri	3764	37.64
53-Mathura	4418	44.18
54-Mau	4854	48.54
55-Meerut	4291	42.91
56-Mirzapur	3986	39.86
57-Moradabad	4282	42.82
58-Muzaffar Nagar	4011	40.11
59-Shamli	1411	14.11
60-Hapur	1400	14.00
61-Pilibhit	3099	30.99
62-Pratapgarh	5580	55.8
63-RaiBareilly	4653	46.53
64-Rampur	3547	35.47
65-Saharanpur	5007	50.07
66-S K Nagar	2429	24.29
67-Shahjahanpur	4779	47.79
68-SiddharthNAgar	3747	37.47
69-Sitapur	7331	73.31
70-Sonebhadra	2442	24.42
71-Srawasti	1923	19.23
72-Sultanpur	4708	47.08
73-Unnao	6318	63.18
74-Varanasi	7862	78.62
75-Amethi	4100	41.00
Total	**331402**	**3314.02**